(99)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1131–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–3–17 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरार प्रकरण कमांक 08/2015–16/अपील.

1– श्रीमती रामदेई पत्नी स्व. शोभाराम
2– जहान सिंह पुत्र स्व. शोभाराम
3– बलवन्त सिंह पुत्र स्व. शोभाराम
निवासीगण ग्राम महाराजपुरा
गिर्द परगना व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– ऋषि सुनेजा पुत्र रमेश सुनेजा
2– सागर सुनेजा पुत्र रमेश सुनेजा
निवासीगण शिन्दे की छावनी
लश्कर, ग्वालियर
3– अंशल बिल्डवैल लिमिटेड
7 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली
द्वारा अधिकृत राकेश तिवारी
पुत्र एम.एम. तिवारी
निवासी 17, शारदा बिहार
सिटी सेन्टर, ग्वालियर
4– वीर सिंह पुत्र स्व. शोभाराम
5– वासुदेव पुत्र स्व. शोभाराम
6– मोनू पुत्र स्व. स्व. शोभाराम
निवासीगण ग्राम महारापुरा
गिर्द परगना व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री पी.एन. शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विवेक श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 व 2
श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक क. 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मुरार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–3–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अपर तहसीलदार वृत्त मुरार के आदेश दिनांक 8–10–2010 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 08/15–16/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, मुरार द्वारा दिनांक 17–3–17 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के निराकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक थे, जिन्हें अभिलेख पर नहीं लेने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में आवेदकगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकारों का हनन किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि केवल आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि तकनीकी आधार पर आवेदन पत्र निरस्त करने से आवेदकगण के विरूद्ध अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर आवेदन पत्र क संलग्न दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिन दस्तावेजों को आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, वे पूर्व से ही अभिलेख पर मौजूद हैं, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता के प्रावधानों के अनुरूप आवेदन

पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह नहीं बतलाया जा रहा है कि जो दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है, वह किस प्रकार से प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के अभिभाषक द्वारा आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ शेष अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

7/ आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 1, 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के आवेदन पत्र के साथ जो विकय पत्र एवं अनुबन्ध पत्र आदि प्रस्तुत किये गये हैं, वे प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में ही हैं, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी को उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लेना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूल की गई है । अतः प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाना उचित होगा कि वे आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लेकर विधि अनुसार प्रकरण का निराकरण करें ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मुरार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–3–17 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर